**न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर**

**(1) प्रकरण संख्या– अपीलडि/टीए/1883/2005/भरतपुर**

फत्ते पुत्र तोता मृतक जरिये वारिसान–
1. त्रिवेणी पत्नी गुलाब
2. राजवीर
3. शिशुपाल पुत्रगण गुलाब
4. उर्मिला
5. विमला
6. लक्ष्मी
7. सावित्री पुत्रियां गुलाब
   समस्त जाति कछवाया निवासी नगला समाध तहसील रूपवास
   जिला भरतपुर

**–अपीलार्थीगण**

**बनाम**

1. श्यामलाल
2. निरोतीलाल पुत्रगण प्यारेलाल
3. रामदेई पत्नी प्यारेलाल
   समस्त जाति कछवाह निवासी नागला समाहद तहसील रूपवास
   जिला भरतपुर
4. किरनदेई पत्नी सीयाराम जाति कछवाह निवासी चेंटोली तहसील वैर
   जिला भरतपुर
5. कु0 लक्ष्मी पुत्री महावीर
6. केशवदेव
7. पवनकुमार पुत्रगण महावीर
   समस्त जाति कछवाह निवासी नवलगंज, आगरा

**–प्रत्यर्थीगण**

**(2) प्रकरण संख्या– निगरानी/टीए/1908/2005/भरतपुर**

फत्ते पुत्र तोता मृतक जरिये वारिसान–
1. त्रिवेणी पत्नी गुलाब
2. राजवीर
3. शिशुपाल पुत्रगण गुलाब
4. उर्मिला
5. विमला

6. लक्ष्मी
7. सावित्री पुत्रियां गुलाब
   समस्त जाति कछवाया निवासी नगला समाध तहसील रूपवास
   जिला भरतपुर

**–प्रार्थीगण**

**बनाम**

1. श्रीमती रामदेई पत्नी प्यारेलाल
2. श्यामलाल
3. निरोतीलाल पुत्रगण प्यारेलाल
   समस्त जाति कछवाह निवासी नागला समाहद तहसील रूपवास
   जिला भरतपुर
4. श्रीमती किरनदेई पत्नी सीयाराम जाति कछवाह निवासी चेंटोली तहसील वैर जिला भरतपुर
5. कु0 लक्ष्मी पुत्री महावीर
6. केशवदेव
7. पवनकुमार पुत्रगण महावीर नाबालिगान जरिये पिता महावीरसिंह
   समस्त जाति कछवाह निवासी नवलगंज, आगरा
8. पूरन
9. बहादुर पुत्रगण मलखान
10. बिहारी पुत्र परसोली
    समस्त जाति कछवाया निवासीगण नगला समाहाद तहसील रूपवास
    जिला भरतपुर

**–अप्रार्थीगण**

**खण्डपीठ**
**श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य**
**श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य**

**उपस्थित**

श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण
श्री जे.के. पारीक, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण

**निर्णय**

**दिनांक 02.07.2019**

अपीलार्थीगण एवं प्रार्थीगण ने यह दोनों अपील एवं निगरानी प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 एवं धारा 230 के तहत भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील संख्या–25/2003 एवं अपील संख्या–72/2002 में पारित एकजाई निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29–03–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. दोनों प्रकरणों के तथ्य, विवाद बिन्दू समान होने एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा दोनों अपीलों में पारित एकजाई निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत होने से योग्य अधिवक्तागण की सहमति से अपील एवं निगरानी का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। निर्णय प्रति प्रत्येक पत्रावली में रखी जावे।

3. अपील संख्या–1883/2005 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण प्रत्यर्थीगण संख्या–1 से 7 के पूर्वज प्यारेलाल ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनिनयम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत अपीलार्थीगण के पूर्वज फत्ते एवं अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध ग्राम नंगला समहाद स्थित आराजी कुल किता 13 कुल रकबा 15बीघा 09बिस्वा भूमि बाबत् राजस्व वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त विवादित आराजी रामसिंह की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि थी, जिसके स्वर्गवास उपरान्त विवादित आराजी उनकी पत्नी अशरफी को विरासत में मिली। खातेदार रामसिंह के कोई जायन्दा सन्तान नहीं थी। मु0 अशरफी ने दिनांक 28–7–1969 को विवादित भूमि व अन्य चल अचल सम्पत्ति की वसीयत वादी प्यारेलाल के पक्ष में कर दी। मु. अशरफी की मृत्यु उपरान्त विादित आराजी का नामान्तरकण संख्या 234

वादी के नाम स्वीकृत किया, जिस पर वादी काबिज काश्त है परन्तु प्रतिवादीगण वादी को विवादित आराजी से बेदखल करना चाहते है। अतः वादी को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से बेदखल किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या–1 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजी पर प्रतिवादी संख्या–1 का कब्जा काश्त है तथा प्रतिवादी संख्या–1 ही विवादित आराजी का खातेदार है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किया जावे। शेष प्रतिवादीगण संख्या–2 लगायत 16 के विरूद्ध दावा विडो करने हेतु वादी की ओर से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जो दिनांक 8–6–1999 को स्वीकार किया। तत्पश्चात् वादी की मृत्यु होने पर उनके वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित पांच विवाद्यक कायम किये। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध किये जाने के उपरान्त उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19–02–2003 से वादी प्रत्यर्थी संख्या–1 से 7 की ओर से प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध वादीगण प्रत्यर्थी संख्या–1 से 7 की ओर से अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील संख्या–25/2003 प्रस्तुत की।

4. निगरानी संख्या 1908/2005 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के पूर्वज फत्ते पुत्र तोता ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनिनयम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत अप्रार्थी बिहारी एवं अप्रार्थीगण के पूर्वज प्यारेलाल, मलखान एवं ताराचन्द प्रतिवादीगण के विरूद्ध ग्राम नंगला समहाद स्थित विवादित आराजी कुल किता 13 कुल रकबा 15बीघा 09बिस्वा भूमि बाबत् राजस्व वाद प्रस्तुत कर घोषणा एवं

स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा पेश कर वादपत्र में वर्णित कथनों को अस्वीकार करते हुए वाद को खारिज किये जाने की प्रार्थना की। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित चार तनकीयात कायम की। उक्त वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादी संख्या–1/5 का देहान्त हो जाने के उपरान्त निर्धारित समयावधि में मृतक पक्षकार के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने की कार्यवाही नहीं करने के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–4–2002 से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को अबेट होना मानकर खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस आदेश के विरूद्ध फत्ते ने अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 72/2003 प्रस्तुत की गयी। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने फत्ते की ओर से प्रस्तुत अपील संख्या 72/2002 एवं वादीगण श्यामलाल वगैराह की ओर से प्रस्तुत अपील संख्या 25/2003 में एकजाई निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29–03–2005 को पारित करते हुए फत्ते की ओर से प्रस्तुत अपील संख्या–72/2002 को खारिज करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20–04–2002 को यथावत रखा तथा श्यामलाल वगैराह की ओर से प्रस्तुत अपील संख्या 25/2003 को स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19–03–2003 को निरस्त करते हुए वादी प्यारे की ओर से प्रस्तुत वाद को डिक्री कर वादपत्र की मद संख्या–1 में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकर घोषित कर प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थीगण / प्रार्थीगण द्वारा यह दोनों अपील एवं निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

5. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

6. योग्य अधिवक्ता श्री अशोक अग्रवाल ने अपनी बहस में अपील मीमों एवं निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि वादीगण प्रत्यर्थीगण के पूर्वज प्यारे की ओर से प्रस्तुत वाद में विचारण न्यायालय ने विवादित आराजी पर वादी का कब्जा काश्त नहीं होना प्रमाणित मानते हुए तथा कायम की गयी तनकीयात पर तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए वाद को प्रमाणित नहीं होना मानकर विधिसम्मत् निर्णय से खारिज किया, जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा स्वीकार करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। उनका कथन है कि खातेदार रामसिंह की मृत्यु वर्ष 1962 में हो जाने उपरान्त उसकी पत्नी अशरफी चिरंजी के पत्नी के रूप में वर्ष 1962 में ही चली गयी थी, जिसे विवादित आराजी की वसीयत वर्ष 1969 में वादी के पक्ष में करने का कोई अधिकार नहीं था। उनका कथन है कि विवादित आराजी पर वादी प्यारे का कब्जा काश्त नहीं रहा है। उनका कथन है कि उनके पक्षकार की ओर से प्रस्तुत मूल वाद में प्रतिवादी संख्या–1/5 लालमती की मृत्यु होने के उपरान्त उसके वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने कोई कार्यवाही नहीं करने के आधार पर सम्पूर्ण वाद अबेट नहीं होकर केवल मात्र मृतक प्रतिवादी संख्या–1/5 की हद तक ही अबेट होना चाहिए। विचारण न्यायालय द्वारा उनके पक्षकार की ओर से प्रस्तुत सम्पूर्ण वाद को अबेट होना मानकर खारिज करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों एवं विधिक स्थिति की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थीगण एवं प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील एवं निगरानी को स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थीगण के मूल वाद

में पारित निर्णय एवं डिक्री को बहाल रखा जावे। साथ ही विचारण न्यायालय के समक्ष उनके पक्षकार की ओर से प्रस्तुत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के मूल वाद को डिक्री किया जावे।

7. योग्य अधिवक्ता श्री जे.के. पारीक ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी का मूल खातेदार रामसिंह था, जिसकी मृत्यु उपरान्त विरासत का नामान्तरकरण उसकी पत्नी अशरफी के पक्ष में तस्दीक किया गया तथा मूल खातेदार की पत्नी अशरफी ने विवादित आराजी की रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 28–7–1969 को उनके पक्षकार के पूर्वज वादी प्यारे के पक्ष में निष्पादित की। उनका कथन है कि विवादित आराजी पर उनके पक्षकार का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने धारा 145 सीआरपीसी की कार्यवाही पर अधिक बल देते हुए उनके पक्षकार का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त नहीं होना मानकर विधिक त्रुटि कारित की। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय के समक्ष उनके पक्षकार की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एंव मौखिक साक्ष्य से विवादित आराजी पर साधिकार कब्जा काश्त होना प्रमाणित करवाया गया था किन्तु विचारण न्यायालय ने उनके पक्षकार की ओर से प्रस्तुत वाद को खारिज करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए विस्तृत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करते हुए विधिसम्मत् अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गयी है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होने से पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलार्थीगण / प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील एवं निगरानी को खारिज किया जावे।

8. हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली एवं पारित निर्णयों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

9. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम नगला समाहद स्थित आराजी खसरा नम्बर 440, 475, 694/2, 699/1, 722, 723/2, 734, 733/2, 743/3, 744, 766, 845/787/1 एवं 846/787/2 कुल किता 13 कुल रकबा 15बीघा 09बिस्वा भूमि स्वर्गीय रामसिंह की खातेदारी की भूमि थी। इसी भूमि बाबत् दोनों पक्षकारों की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष पृथक–पृथक वाद प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से यह भलीभांति प्रमाणित होता है कि मूल खातेदार रामसिंह की मृत्यु उपरान्त विवादित आराजी नामान्तरकरण संख्या 194 दिनांक 28–09–1962 से खातेदार की पत्नी अशरफी के नाम तस्दीक किया गया। तत्पश्चात् अशरफी की ओर से रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 28–7–1968 प्रदर्श–1 प्रत्यर्थीगण संख्या–1 से 7 के पूर्वज प्यारे के पक्ष में निष्पादित की। विचारण न्यायालय ने वसीयत को मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होना मानकर तथा विवादित आराजी पर प्यारे का कब्जा काश्त प्रमाणित नहीं होने के आधार पर वाद को खारिज कर दिया। इसी प्रकार दूसरे वाद में एक प्रतिवादी की मृत्यु होने पर वादी पक्ष की ओर से कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं किये जाने के आधार पर दूसरे वाद को खारिज कर दिया। इसके विपरीत अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने रजिस्टर्ड वसीयत को प्रमाणित होना मानकर प्यारेलाल की ओर से प्रस्तुत वाद को डिक्री कर दिया। साथ ही विचारण न्यायालय द्वारा अबेट के आधार पर खारिज वाद के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को भी खारिज कर दिया।

10. प्रस्तुत प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं पक्षकारान के अभिकथनों से यह भलीभांति प्रमाणित है कि मूल खातेदार रामसिंह की मृत्यु उपरान्त विवादित आराजी उसकी पत्नी अशरफी के नाम दर्ज की गयी, जिसके द्वारा विवादित आराजी की रजिस्टर्ड वसीयत प्यारे के पक्ष में निष्पादित की गयी क्योंकि मूल खातेदार रामसिंह के अन्य कोई जायन्दा वारिस नहीं था। जहां तक मूल खातेदार की बेवा अशरफी का चिरंजी के यहां पत्नी के रूप में चले जाने का प्रश्न है, उक्त बिन्दू बाबत् विपक्षी की ओर से यह प्रमाणित नहीं कराया गया है कि अशरफी रामसिंह की मृत्यु के कितने वर्षो बाद चिरंजी के पत्नी के रूप में चली गयी जबकि राजस्व अभिलेख में रामसिंह मृतक की पत्नी अशरफी के रूप में दर्ज है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि रामसिंह खातेदार की मृत्यु उपरान्त उसकी पत्नी अशरफी चिंरजी के पत्नी के रूप में चली गयी थी। जहां तक वसीयत की प्रमाणिकता का प्रश्न है, अशरफी द्वारा प्यारे के पक्ष में निष्पादित वसीयत रजिस्टर्ड है तथा सीयत पर लटूरी व लेखा के हस्ताक्षर बतौर गवाह है, जिनका देहान्त हो गया है तथा उनके लडके जगन व रामजीलाल के वसीयत बाबत् मौखिक बयान विचारण न्यायालय के समक्ष करवाये गये है। जहां तक सीआरपीसी की धारा 145 के तहत विवादित आराजी पर विपक्षी पक्षकार के कब्जे का प्रश्न है, घोषणा के वाद में मृतक खातेदार रामसिंह की विधवा मु0 अशरफी एवं उसके द्वारा निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयत के मद्देनजर सी.आर.पी.सी की धारा 145 के तहत विवादित आराजी पर कौनसा पक्ष काबिज है, अधिक महत्व नहीं रखता है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए मूल वाद में कायम की तनकीयात पर विधिसम्मत् विवेचना करने के उपरान्त अपीलाधीन विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित विधिसम्मत् निर्णय में अपील /

निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

13. परिणामतः अपीलार्थीगण / प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील एवं निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन रजास्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29–03–2005 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**( मोहन लाल नेहरा )**
**सदस्य**

**( प्रवीण गुप्ता )**
**सदस्य**